

राजस्थान सरकार

अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर

क्रमांक-प.6(1)(4)ए.सी.आर./अ.स./अभि./18/ 3576-680

दिनांक- 27/07/19

प्रेषित:-

1. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (अभि.),
अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर
2. समस्त उप/सहायक निदेशक अभियोजन, राजस्थान
3. समस्त उप/सहायक निदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान ।
4. समस्त लोक/विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक (अभियोजन अधिकारी), राजस्थान
5. सी.आई.डी.(सी.बी.)/आर.पी.ए./जे.डी.ए.-1, 2/राज. पुलिस मु. जयपुर।

विषय:-समस्त राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना अचल सम्पत्ति विवरण को स्वयं के SSO-ID से लॉग इन कर राज-काज सॉफ्टवेयर में IPR MODULE द्वारा ऑन-लाईन IPR भरने के सम्बंध में।

प्रसंग:-कार्मिक (क-1/गो.प्र./विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) कार्मिक/क-1 / गो.प्र. / 2011 दिनांक 13.03.2019 के क्रम में


उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र के क्रम में लेख है कि कार्मिक (क-1/गो. प्र.) विभाग के पत्रांक-प.13(76)/कार्मिक/क-1/गो.प्र./2011 दिनांक-13.02.2019 की छाया प्रति संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही/पालनार्थ प्रेषित है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार ।

— 52 —
(रमेश कुमार शर्मा)
निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.-श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक (क-1/गो. प्र.) विभाग के परिपत्र क्रमांक प. 13 (76) कार्मिक/क-1/गो.प्र./ 2011 दिनांक 13.03.2019 के क्रम में ।
- 2.-सूचना सहायक, अभियोजन निदेशालय राजस्थान, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत ।


निदेशक अभियोजन,
राजस्थान जयपुर